संख्या-492/2020/2975/22-2-2019-17(1193)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2020***

विषय:- जिला कारागार, झॉसी में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रजोला पत्नी श्री नत्थू सिंह यादव, निवासिनी जनपद-झॉसी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 26.09.2019, दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी रजोला पत्नी श्री नत्थू सिंह यादव, ग्राम-डिकौली थाना-एरच, जनपद-झॉसी की निवासिनी है। महिला बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 31.10.2006 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट कर आग लगाकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-133/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0-03, झॉसी के आदेश दिनांक 31.07.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2019 तक 07 वर्ष 03 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 01 माह 07 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रजोला (बन्दी संख्या-475/12) पत्नी श्री नत्थू सिंह यादव, निवासिनी जनपद-झॉसी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-492 /2020/2975(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, झॉसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in